न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 136/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सत्यप्रकाश पुत्र मुल्या
2. घासीराम पुत्र चन्दा
3. जगदीश पुत्र रणजीता
4. तोफा देवी पुत्री मुलचन्द
5. नारायणी देवी पत्नी मूलचन्द
6. भगवानसहाय पुत्र मूलचन्द
7. भरत लाल पुत्र मूलचन्द
8. मीठा लाल पुत्र मूलचन्द
9. राजाराम पुत्र मूलचन्द
10. रामकरण पुत्र मूलचन्द
11. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति मीना
निवासी कुन्तलवास
तहसील राहूवास जिला—दौसा।

—(प्रार्थीगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. नाथू पुत्र भौरया
3. श्रवण पुत्र गोपाल
4. टून्डा पुत्र गोपाल
5. रामप्रताप पुत्र नानगा

समस्त जाति मीना
निवासी कुन्तलवास

—(अप्रार्थीगण)

उपस्थितिः— 1. श्री विष्णु कुमार शर्मा अधिवक्ता—(प्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी
(अं० धारा 128 एल आर एक्ट)

निर्णय दिनांकः—29.08.2024

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख0नं0 23 रकबा 3.8824 है0, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 है0, भूमि वाकै ग्राम कुन्तलवास तहसील राहूवास में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जारी कर तलबी की गई। बावजूद तामिल अप्रार्थी संख्या 2 व 5 उपस्थित नही आए। अप्राथी सं 2 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं 1 द्वारा न्यायालय में जवाब व तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 25.07.2024 पत्र क्रमांक/एल0आर0/2024/1170 द्वारा पेश की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी ख0नं0 23 रकबा 3.8824 है0, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम तथ्यात्मक रिपोर्ट का आद्योपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीगण ख0नं0 23 रकबा 3.8824 है0, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 है0 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 23 रकबा 3.8824 है0, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 है0, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 है0 वाकै ग्राम कुन्तलवास तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय न्यायालय की मोहर एव मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

29/08/24

वर्षा मीना
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:10:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner